झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
अधिसूचना

राँची, दिनांक– 21/7/22

संचिका संख्या–04/आ0–01–1009/2021.......2920......../ पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, चाईबासा के अंतर्गत तांतनगर ग्रामीण जलापूर्ति योजना में बड़े स्तर पर वित्तीय अनियमितता बरते जाने का मामला विभाग के संज्ञान में आने के पश्चात् मामले की जाँच मुख्य अभियंता (सी0डी0ओ0), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड की अध्यक्षता में गठित समिति से करायी गई। समिति का जाँच प्रतिवेदन मुख्य अभियंता (सी0डी0ओ0) के पत्रांक–674 दिनांक–16.06.2021 के द्वारा विभाग को प्राप्त हुआ। उक्त जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में श्री संजय शर्मा, कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, चाईबासा को विभागीय अधिसूचना संख्या–2312 दिनांक–07.09.2021 के द्वारा निलंबित किया गया तथा विभागीय अधिसूचना संख्या–2485 दिनांक–23.09.2021 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

2. विभागीय जाँच पदाधिकारी–सह–संचालन पदाधिकारी का पत्रांक–107 दिनांक–19.05.2022 के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया, जिसमें आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध गठित आरोपों को आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया। जाँच प्रतिवेदन में वर्णित बिन्दुओं की समीक्षा विभाग द्वारा की गई तथा जाँच प्रतिवेदन में वर्णित तथ्यों से असहमत होते हुए श्री शर्मा के विरूद्ध गठित आरोपों को पूर्णतः प्रमाणित मानते हुए विभागीय पत्रांक–2411 दिनांक–09.06.2022 के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गई। श्री शर्मा द्वारा अपने पत्रांक–शून्य दिनांक–20.06.2022 के माध्यम से द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब विभाग को समर्पित किया गया। श्री शर्मा से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा के क्रम में कोई नया तथ्य नहीं होने के कारण स्वीकारयोग्य नहीं पाया गया।

3. जाँच संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रेषित जाँच प्रतिवेदन तथा आरोपी पदाधिकारी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के सम्यक् समीक्षोपरान्त श्री संजय शर्मा को विभागीय अधिसूचना संख्या–2312 दिनांक–07.09.2021 द्वारा किये गये निलंबन से तत्काल प्रभाव से मुक्त करते हुए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2016 के नियम–14 (vii) के तहत् निम्न दण्ड अधिरोपित किया जाता है:–

(i) श्री शर्मा को अपने कालमान वेतन में 05 Stage निम्नतर प्रक्रम पर तीन वर्षों के लिए अवनति।

P.T.O

(ii) उक्त अवनति की अवधि में उन्हें कोई वेतन वृद्धि अनुमान्य नहीं होगा एवं अवधि अवसान के बाद उक्त अवनति के प्रभाव स्वरूप उनकी अगामी वेतन वृद्धियाँ स्थगित रहेंगी।

(iii) साथ ही इनके निलंबन अवधि को कर्त्तव्य अवधि नहीं माना जाएगा।

उपरोक्त दण्डोदश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(पशुपति नाथ मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 2921 राँची, दिनांक– 21/7/22

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्राणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

21/07/2022

(पशुपति नाथ मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 2921 राँची, दिनांक– 21/7/22

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा/जिला कोषागार, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/07/2022

(पशुपति नाथ मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 2921 राँची, दिनांक– 21/7/22

प्रतिलिपिः–माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

21/07/2022

(पशुपति नाथ मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 2921 राँची, दिनांक– 21/7/22

प्रतिलिपिः– सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख/सभी संयुक्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता/ सभी अधीक्षण अभियंता (यॉंत्रिक सहित) /सभी उप सचिव/अवर सचिव (प्रशाखा–04)/सभी कार्यपालक अभियंता (यॉंत्रिक सहित)/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.07.2022

(पशुपति नाथ मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 2921 राँची, दिनांक– 21/7/22

प्रतिलिपिः–श्री संजय शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, चाईबासा सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय– पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। श्री शर्मा अपना योगदान पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची में समर्पित करेंगे।

21.07.2022

(पशुपति नाथ मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 2921 राँची, दिनांक– 21/7/22

प्रतिलिपिः–अवर सचिव (प्रशाखा–01) को सूचनार्थ एवं श्री शर्मा के पदस्थापन संबंधी कार्रवाई करने हेतु प्रेषित।

21.07.2022

(पशुपति नाथ मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 2921 राँची, दिनांक– 21/7/22

प्रतिलिपिः–श्री नितिन कुमार, राज्य समन्वक (IT) (PMU) पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.07.2022

(पशुपति नाथ मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव